

आज दिनांक 27.09.2016 को रायगढ़ में कलेक्टर महोदया के पत्र क्रमांक 8265/भू-अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 के संदर्भ में निर्धारित समयानुसार 2 बजे गठित समाजिक समाघात विशेषज्ञ समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. श्री सुधीर दाण्डेकर, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर - अध्यक्ष

Sudhir
27/9

2. सुश्री विनिता सोनी, यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ़

Vineta Soni
27.9.2016

3. डा. मुकेश गोस्वामी, समाज विज्ञानी जनमित्रम रायगढ़ (एन.जी.ओ.)

Mukesh

4. श्रीमती विमला राठिया, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 22 गुरदा विकासखंड खरसिया।

विमला

5. श्री गजानंद पटेल, उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा विकास खंड खरसिया।

गजानंद पटेल

6. श्री एस.पी. दिक्षित, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर।

S.P. Dixit

7. श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त, कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण, पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर।

हरिलाल

प्रति,

कलेक्टर

रायगढ़, जिला - रायगढ़

विषय :- विशेषज्ञ समूह द्वारा समाजिक समाघात का अंकन।

कलेक्टर महोदया के पत्र क्रमांक 8265/भू-अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) खरसिया के पत्र क्रमांक/भू-अर्जन/2016/1172 दिनांक 21.09.2016 के अनुक्रम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 27.09.2016 को बैठक आयोजित कर समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन (Appraisal) किया गया।

अंकन मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर आधारित था :-

- (क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है।
- (ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।
- (घ) इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है।
- (ङ) इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है।
- (च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन।
- (क). इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ?

इस संबंध में समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह प्रतिवेदित है कि प्रस्तावित अधिग्रहण उद्योग विभाग द्वारा 1200 मेगावाट पावर प्लांट के लिये जो कि बाड़ादरहा जिला जांजगीर चांपा में पूर्व से ही स्थापित है एवं विद्युत उत्पादन कर रहे प्लांट हेतु कोयला परिवहन के लिये ग्राम बाड़ादरहा से रॉबर्टसन तक 13 कि.मी. रेल लाईन बिछाई जाने हेतु यह अधिग्रहण प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी के उपयोग के लिये ग्राम बाड़ादरहा से ग्राम बेन्दोझरिया तक 9 कि.मी. तक का भू-अर्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में बढ़ते औद्योगिक निवेश बढ़ती जनसंख्या और विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन प्रदेश और देश के व्यापक हित में है और स्पष्ट ही लोक प्रयोजन के उपयोगी उद्योगों की श्रेणी में आता है। स्पष्ट है कि यदि इस 4.275 कि.मी. को पूर्ण नहीं किया गया तो कोयले का परिवहन बाधित होगा और पूर्व में किया गया अधिग्रहण निर्थक होगा जो क्षति दायक होगा।

ख. प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ?

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से ना तो कोई माकान टूट रहे हैं और ना किसी वासस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है अतः वासस्थानों से वांछित होने वालों की संख्या शून्य है।

यह प्रस्तावित अधिग्रहण रेखीय (Liner) स्वरूप का है। अतः यद्यपि इसमें प्रभावित कुटुंबों की संख्या अधिक होती है परन्तु अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम होता है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर प्रभावित खातेदारों की संख्या 61 है वहाँ अर्जित किये जाने वाला रकबा 45.85 एकड़ है। अर्थात् प्रति खाते का औसत एक एकड़ से भी कम है समूह द्वारा प्रभावितों की सूची का अवलोकन किया गया। सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कोई भी खातेदार भू-अर्जन के पश्चात् निरंक भूमि वाला नहीं रह जायेगा। स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी भूमि विस्थापित का सम्पूर्ण भूमि नहीं जायेगी और ना ही अजीविका का साधन।

ग. ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ?

प्रस्तावित भू-अर्जन नहीं किया जा रहा है। प्रभावित होने वाले खातेदारों की सूची और विवरण का अवलोकन किया गया जो संलग्न है। अर्जन से पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कंटिका ख में किया जा चुका है।

घ. इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ?

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवं समाजिक समाघात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह समूह इस बात से संतुष्ट है कि भूमि की जितनी आवश्यकता है उतर्ने का ही अधिग्रहण किया जा रहा है एवं न्यूनतम दूरी का ध्यान रखा गया है इस संबंध में परियोजना से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ की राय पृथक् से संलग्न है।

ङ. इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ?

यह एक रेखीय (Liner) प्रोजेक्ट है एवं न्यूनतम दूरी का प्रस्ताव किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसा करने पर अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में अनावश्यक वृद्धि ही होगी।

च. परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन ?

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से शासकीय परिसम्पत्तियों को या सार्वजनिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अतः इसमें पुनः निर्माण आदि पर खर्च होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, केवल निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। जिसके लिये अधिनियम में प्रस्तावित निर्धारित मुआवजा एवं पुनर्वास नीति का अनुसरण किया जाना होगा। जिसमें अंकन अथवा मत देना विशेषज्ञ समूह के कार्यक्षेत्र में नहीं है।

विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व में गठित समूह के प्रतिवेदन अवलोकन किया और यह पाया कि अधिनियम में प्रवधानित जनसुनवाई की गई थी। कुल खातेदार 61 में 55 लोगो ने अपनी सहमति दी है इसकी पुष्टि विशेषज्ञ समूह के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया द्वारा भी की गई है।

चूँकि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है । अतः P.E.S.A. के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ग्राम सभा कि बैठक आयोजित की जा कर प्रस्तावित भू-अर्जन के पक्ष में ग्राम सभा ने अपना मत व्यक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह कि यह राय है कि :-

- A. रेल लाईन बिछाने कि इस परियोजना से पावर प्लांट को कोयले के परिवहन कि सुविधा प्राप्त होगी जिससे विद्युत उत्पादन के लोक प्रयोजन की पूर्ति होगी।
- B. सम्भाव फायदे समाजिक खर्च और प्रतिकूल समाजिक समाघातों कि तुलना में बहुत अधिक है।
- C. प्रस्तावित अधिग्रहण यथार्थ न्यूनतम सीमा में है और इससे कम प्रभावित (विरथापन कोई नहीं है) किये जाने सम्बन्धी कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

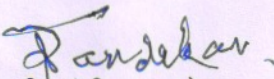
उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए विशेषज्ञ समूह द्वारा भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जाती है।

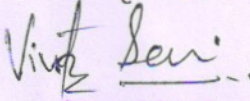
संलग्न :-

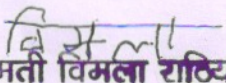
1. प्रभाविक कृषको की सूची।
2. रेल्वे विशेषज्ञ की रिपोर्ट।
- 3.

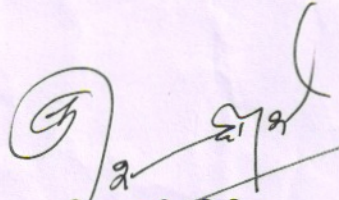

अनुसंयोजक अधिकारी (रा.)
दुर्गेश चर्मा (छ.ग.)

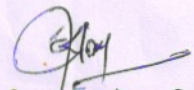
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया

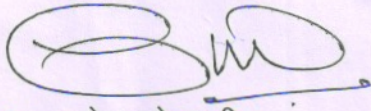

श्री सुधीर दाण्डेकर,
अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

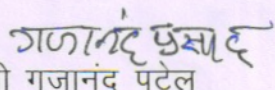

President
Youth Welfare Society Raigarh
सुश्री विनिता सोनी,
यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ़


श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य
क्षेत्र क्रमांक 22
श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 22 गुरदा
विकासखंड खरसिया।


श्री एस.पी. दिक्षित,
सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर


श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त,
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
दक्षिण, पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर


डा. मुकेश मोहान,
समाज विज्ञानी जनमित्र रायगढ़ (एन.जी.ओ.)
RAIGARH (C. G.)


श्री गजानंद पटेल
उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा
विकास खंड खरसिया।

दिनांक 28/9/16

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सन्दर्भ: पत्र क्रमांक / भू. अर्जन / 2016 / 1172 खरसिया दिनांक
21/09/2016

विषय: - कार्यालय, कलेक्टर रायगढ़ छ.ग. के पत्र क्रमांक
845/ भू. अर्जन / 2016 रायगढ़ दिनांक 19/09/2016 के
परिपालन से गठित सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन
दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट
एवं सामाजिक समाधान प्रबंधन योजना ग्राम कुनकुनी
के मूल्यांकन हेतु।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक
21/9/2016 को भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के
उचित प्रतिफल और चारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
2013 की धारा 7 के अन्तर्गत बैंक आयोजित कर
सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का अंकन किया गया
अंकन मुख्यतया सात बिंदुओं पर आधारित था
हमारे पक्ष के आधार पर यह है कि प्रभावित भूमि
का अर्जन परियोजना के लिए पूर्णतया पर्याप्त न्यूनतम
आवश्यकता की सीमा के अन्दर गत सिद्ध है।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवं रेल विभाग द्वारा
प्रभावित भूचित्र का गहनता से अध्ययन किया
जिसमें यह पाया गया कि परियोजना के लिए
कुनकुनी ग्राम की 45.87 एकड़ भूमि प्रस्तावित है
जिसमें लगभग 4.2 किमी. लम्बा ट्रैक प्रस्तावित है।
भूमि का अर्जन रेलवे की आवश्यकता के आधार
पर किया गया है।

अतः, मह/पत्र: प्रमाणित किया जाता है।
कि भू अर्जन रेलवे ट्रैक की आवश्यकता अनुसार है।
च

28/9/16
हरीलाल रिवार्ड कार्यालय
अभिषेक, विलासपुर
निगम, दक्षिण छ.ग. रायगढ़